

GENERAL RULES OF ADMISSION IN VARIOUS COURSES

Eligibility for Admissions and Other Related Rules

1.1 Minimum Percentage for Admissions and Eligibility for Appearing in Entrance Test -

- 1.1.1 Minimum percentage and admission criteria for admission to courses being offered by the University are mentioned in the respective departmental profiles of this admission brochure. Almost in all the courses the minimum eligibility criteria is **50% marks in aggregate** in qualifying examination. A relaxation of 5% in the eligibility criteria shall be admissible to the bonafide SC/ST/OBC applicants of Madhya Pradesh only. A relaxation of 5% in eligibility will also be applicable to Physically Challenged (*Nishaktjan*) as defined by M.P. Government.
- 1.1.2 If some seats remain vacant in **non-entrance test based courses**, candidates who have secured a minimum of 45% aggregate marks in the qualifying examination can be given admission. But in such cases, no candidate (whatever category he/she belongs to) who has secured below 45%, will not be admitted.
- 1.1.3 However for admission in Jyotirvigyan course *an extra relaxation* of 5% in minimum eligibility shall be given to senior citizens and female candidates of all categories.
- 1.1.4 The **candidates awaiting their results of qualifying examination** can also apply for admission but their final admission to the course shall be directed by point nos 6.3 and 6.4.
- 1.1.5 Candidates who have passed their qualifying examination from universities other than Jiwaji University are required to submit '**Eligibility Certificate**' *issued by the Jiwaji University, Gwalior*.
- 1.1.6 Fresh admission will be given only in first semester / first year of the course.
- 1.1.7 Students whose parents have come on transfer from out site can be considered for admission in others semesters.

1.2 Age Limit

As per the government rules the upper age limit for admission to undergraduate courses is 23 years whereas for postgraduate degree and diploma courses it is 28 years as on **July 01, 2014**. A relaxation of three years in upper age limit for SC / ST / OBC and physically handicapped candidate shall be provided for the applicants of Madhya Pradesh only. For candidate belonging to physically challenged category upper age limit for admission to Graduate and Post Graduate classes will be 30 and 35 years, respectively. Upper age limit will not be applicable for the candidates sponsored by foreign / Indian / state government and the institutions directly or indirectly under their control or if the fees is paid in foreign currency for the payment seat. There is no upper age limit for female candidates and for admission to Yoga / LL.M. / Jyotirvigyan / M.B.A. Hospital Administration courses. Age limit will also not be there for part-time courses, and courses offered via distance mode.

1.3 Non-Eligibility for Admission

- 1.3.1 If the age is more than the requisite age.
- 1.3.2 Applicants appearing in supplementary / ATKT (**First - Fifth semester**) examination of the qualifying examination.
- 1.3.3 Applicants who are already holding a Master's degree from a faculty shall not be eligible for the admission to a program at same level in the same faculty as a regular candidate. Furthermore, a

candidate, who has taken admission earlier in any course but left the course in between, due to whatever reason/s, will not be given regular admission in the same course.

1.3.4 *An applicant convicted by the court of law in India or outside or one against whom cases are being tried in the court/s or challan has been presented or have verifiable allegations against them concerning misbehavior / beating of students /officers /employees or a person against whom disciplinary action has been taken by Jiwaji University or any other University shall not be eligible for admission.*

1.3.5 A full time government employee / non-government employee cannot take admission in courses run during working hours. However, they can take admission in courses run after regular working hours. For the same they will have to produce a No Objection Certificate (NOC) form their employer.

1.4 Weightage in Admission Index

1.4.1 **A weightage of 5 per cent of obtained marks in Entrance Test and 5 per cent of the index** shall be given to the candidate, in both categories of the courses (entrance & non-entrance, respectively), holding following certificates:

- i. 240 hours participation in NSS activities at University level or B / C Certificate.
- ii. NCC "C" Certificate.
- iii. Cultural activities at Inter-University level / National level.
- iv. Sports activities at Inter-University level / National level.
- v. Qualifying exam from Jiwaji University or other Universities of M.P.

Note: In any case, the total weightage would not exceed 5% of the index. For entrance test based courses the marks obtained in the test will be treated as index for calculation of weightage. Weightage will not be used for deciding eligibility. It will only be used to assign merit. In order to claim weightage requisite certificates should be enclosed along with the form. Any certificate produced after submission of forms may not be taken into consideration. If an applicant is eligible for weightage in more than one category, the benefit of the same will only be given in one category where highest weightage accrue to him/her.

1.4.2 Physically challenged candidates will be given a weightage of 10% in marks obtained in qualifying examination /score of entrance examination, before calculating their index for admission.

1.4.3 Candidates who have done B.Sc. / B.A. / B.Com. Honours will be given a weightage of 10% in marks obtained in qualifying examination before calculating their index for admission.

1.5 Rules regarding allotment of Specialisation -

Wherever there is a provision of a number of specializations in a subject, the following criteria will be adopted to allot the specialization/special paper:

1.5.1 Number of seats in each specialization shall be equal. Depending upon the availability of students in III-semester, their exact number will be decided.

1.5.2 Allotment of a specialization /special papers shall be done on the basis of his / her choice cum merit. The merit will be decided on the basis of the aggregate marks obtained in the preceding semesters.

1.5.3 The University reserves the right to run or not to run a particular specialization due to non availability of experts of that specialization.

1.6 Admission to N.R.I and Sponsored seats -

- 1.6.1 For admission to N.R.I. seats candidates should have minimum required percentages in qualifying exams. He / She is not be required to appear in entrance examination.
- 1.6.2 For **admission against sponsored** seats the candidate should have the minimum eligibility as laid down for respective courses. However he / she will not be required to appear in the entrance test. The candidate will be required to produce the sponsorship letter from his / her employer before counseling.
- 1.6.3 Candidates will be considered sponsored only if they secure sponsorship from foreign / Indian / state government and the institution/s directly or indirectly under their control or if the fees is paid in foreign currency for the payment seat.
- 1.6.4 The candidate will have to apply online and will have to pay the fee as prescribed for payment seat along with a sponsorship fee of Rs 25000/- at time of admission. He/she will be required to take leave for the duration of the course from their employer.

1.7 Others

- 1.7.1 Additional information regarding rules for admission, if any, is included separately in the Prospectus under the banner of respective courses.

2. Reservation Policy and Conversion of Seats

- 2.1 Reservation of seats in courses offered by the University will be in accordance with the policy of Madhya Pradesh Government. The benefit of reservation will be available, **only to the domiciles of Madhya Pradesh.**
- 2.2 Of the total seats, 16 percent and 20 percent seats in all the courses will be reserved for applicants belonging to Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribes (ST), respectively. Seats of both these categories are interchangeable.
- 2.3 Of the total seats in a course, 14 percent seats will be reserved for applicants form OBC category (except who are in creamy layer).
- 2.4 Combined horizontal reservation of 3 per cent of the total seats in all categories will be given to sons/ grandsons/ daughters / granddaughters of freedom fighters, for sons/ daughters of permanently disabled defense personnel working and died, and physically challenged applicants from these categories. A combined merit list of all the three categories will be prepared after giving a weightage of 10 percent to physically challenged applicants from these categories but they will admitted be only on seats reserved for them in their respective reservation categories. If an applicant is eligible for weightage in more than one category, the benefit of the same will only be given in a category where highest weightage accrue to him/her.
- 2.5 A horizontal reservation of 30 percent of the total seats will be for female applicants.
- 2.6 Two extra seats will be created in each course (except in course where admissions are made by an external agency like DTE etc.) for the following:
 - 2.6.1 One seat for wards of regular teachers and officers of the University and
 - 2.6.2 One seat for wards of regular Class III and Class IV employees of the Univeristy.

(Ward here would mean husband, wife, son, daughter and dependent real brother/sister of the employee/teacher/officer. In this respect a certificate from the Registrar, Jiwaji University, Gwalior / Competent authority of the University shall be required)

Note: *These seats are interconvertible, and can be converted to other category (Officer to Employee or Vice -Versa) if they remain vacant.*

- 2.7 If any reserved category candidate gets placed in general /open list in merit then the seat in reserved category will be un-effected, but if applicant belongs to the category such as Freedom Fighter (FF) etc., the seat reserved in that category will be treated as filled up.
- 2.8 If on calculation less than half seat falls under reservation then the seat will not be put under reservation, but in case the proportion of seat is between half and one it will be treated as one reserve seat.
- 2.9 If reserved seats remain vacant on the day of counselling, such seats will be treated as open and filled up in open competition on the basis of merit.
- 2.10 To avail benefit of reservation a certificate from a Competent Authority should be produced.
- 2.11 The candidate (applicants) must indicate explicitly the category for which he / she want to avail the advantage of reservation for admission. This option will, in no case be allowed to be changed.
- 2.12 The candidate admitted under NRI category will not be transferred to any other category unless he / she has qualified entrance test and stands in merit.
- 2.13 Conversion of vacant seats among reserved categories (SC / ST) will be done as per M.P. Government directives. The mutual conversion will be applicable within the categories of SC and ST only. The process of conversion of vacant seats reserved for SC/ST seats will take place as mentioned in point no. 4.1.4.

3. How to Apply?

- 3.1 Firstly the student should to go through the advertisement published in News papers and decide in which course she / he wants to apply. The students can also visit the website of the university viz. www.jiwaji.edu. After deciding, the course/courses in which she / he wish to apply is required to visit the website of *mponline* i.e, www.mponline.gov.in. To get an access to the site of mponline, the student can go to the kiosks of **mponline** and ask the kiosk person for submission of admission form of Jiwaji University Gwalior. The kiosk person will help the student in filling the form. **The student is required to carry with her / his two passport size recent photographs for getting it scanned for the admission form.**
- 3.2 The student will have to fill her / his name, father's name, mother's name, date of birth, category to which she / he belongs, nationality, place of birth, address for correspondence, extracurricular activities, status of the student whether she/ he is in service, and all her / his academic records viz. 10th,12th,graduation and post graduation status. Beside this she / he will also have to fill up the name, occupation and address of her/ his father. At the end they will have to sign a declaration. The student will also have to write the contact phone number on the admission form.
- 3.3 The kiosk person will give the **print outs of Admission Form, Receipt of payment** and the **Admit card** bearing the **Roll number**. The candidates are required to send printout of completed application form generated at Kiosk centre, along with the photocopies of his testimonials viz. photocopies of all mark sheets, caste certificate, certificates related to the participation in NCC, NSS, Sport and Co curricular activities to **The Chairman, Admission Committee, School of Studies in Physics, Jiwaji University Gwalior -474011** by speed post or registered post. It can also be submitted by hand in any of the designated collection centers viz. **SOS in AIHC&A, SOS in Commerce, SOS in Computer Science & Applications and Central Library located** within Jiwaji University Campus before the designated date **June 22, 2014**.

3.4 Last date for submission of admission form, on payment of application fees of Rs. 500/- through mponline is **June 15, 2014**. Last date for submission of admission form along with **late fee of Rs. 500/-** (total fees 1000/-) through mponline is **June 20, 2014**.

3.5 For every course registration fee of Rs. 100/- per course / subject has to be paid along with the application fees Rs. 500/- at the kiosk centre (For example if a candidate applies for three courses she / he needs to pay Rs. 300+500 = 800/-). A student is permitted to apply to a maximum of five courses only.

3.6 Applications for admission shall not be accepted after the last date as notified by the University.

4. Particulars of Admission Process to Various Courses

All the courses being run by the University are classified in two categories;

Category - I **Entrance Test Based Courses**

Category - II **Non-Entrance Test Based Courses**

Details concerning admission to each category of courses are given below:

4.1 Category - I **Admission to Entrance Test Based Courses**

The details of entrance test conducted by the University for Admission to these courses are as under;

Course	Format of Entrance Test	Date & Time of Entrance Test & Declaration of Results	Date of Counselling Time - 09.30 A.M. Place - Galav Sabhagar Jiwaji University
Graduate B.B.A / B.A.LL.B / B.C.A / B.T.M. / B.H.M.&.C.T./ BM	a. General Knowledge 25 Marks b. General English 25 Marks c. Numerical Ability 25 Marks d. Reasoning 25 Marks (25 questions in every section, total 100 questions) Level - 10+2 Time – 90 Minutes	Test: 09.30 – 11:00 AM on June 25, 2014 Result Declaration Evening June 26, 2014	Counselling For all categories (SC/ST/OBC/FF/ Gen) June 27, 2014
Physical Education B.P.Ed., M.P.Ed. (For detailed information kindly refer to particulars of SOS in Physical Education) * For only those students who secure place in final admission list.	Paper - I B. P. Ed. M. P. Ed. Written Test 100 Marks 100 Marks Time 02 Hour 02 Hours Level: B. P. Ed.- General Knowledge in Sports, Physical Education and Aerobics M. P. Ed.- B. P. Ed. level (For detailed information kindly refer to particulars of SOS in Physical Education) Paper-II B. P. Ed. M. P. Ed. (Marks) (Marks) Motor Fitness Test 100 100 Sports Performance Test 100 100 Group Discussion 10 10 Personality Test cum Interview 10 10 Personal Sports Achievements (Depending on the level of events - 30 marks) Medical Fitness Test* Fit /Unfit Fit/Unfit	Test – 09.30 – 11:30 AM on July 08, 2014 Physical fitness, Mortar test & Medical test: at Mahadaji University Sports Ground July 09-11, 2014 from 6:00 AM onwards Group Discussion and Interview – July 11, 2014 Result Declaration - Evening July 11, 2014	Counseling For all categories (SC/ST/OBC/FF/ Gen) July 12, 2014

Course	Format of Entrance Test	Date & Time of Entrance Test & Declaration of Results	Date of Counselling Time - 09.30 A.M. Place - Galav Sabhagar Jiwaji University														
<p>Post Graduate (M.Sc.)</p> <p>a. Instrumentation & Commercial Methods of Analysis (MICA)</p> <p>b. Environmental Chemistry</p> <p>c. Pharmaceutical Chemistry</p> <p>d. Biomedical Technology,</p> <p>e. Microbiology,</p> <p>f. Neuroscience,</p> <p>g. Food Technology,</p> <p>h. Biotechnology,</p>	<p>The candidate is required to attempt any two out of the followings sections:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. Biotechnology</td> <td>150 Marks</td> </tr> <tr> <td>b. Botany</td> <td>150 Marks</td> </tr> <tr> <td>c. Chemistry</td> <td>150 Marks</td> </tr> <tr> <td>d. Mathematics</td> <td>150 Marks</td> </tr> <tr> <td>e. Microbiology</td> <td>150 Marks</td> </tr> <tr> <td>f. Physics</td> <td>150 Marks</td> </tr> <tr> <td>g. Zoology</td> <td>150 Marks</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">((75 questions in each elective, total 150 questions))</p> <p>Level – Graduate Time - 150 Minutes</p>	a. Biotechnology	150 Marks	b. Botany	150 Marks	c. Chemistry	150 Marks	d. Mathematics	150 Marks	e. Microbiology	150 Marks	f. Physics	150 Marks	g. Zoology	150 Marks	<p>Test: 09.30 – 11:00 AM On July 02, 2014</p> <p>Result Declaration Evening July 4, 2014</p>	<p>Counselling for M.Sc. courses All categories July 05, 2014</p> <p>Counseling for (Vacant seats) July 07, 2014</p>
a. Biotechnology	150 Marks																
b. Botany	150 Marks																
c. Chemistry	150 Marks																
d. Mathematics	150 Marks																
e. Microbiology	150 Marks																
f. Physics	150 Marks																
g. Zoology	150 Marks																
<p>Post Graduate – M.B.A.</p> <p>MBA (CSMM),</p> <p>MBA (Financial Administration),</p> <p>MBA (Tourism Administration) ,</p> <p>MBA (Business Economics) ,</p> <p>MBA (HRD),</p> <p>MBA (e-Commerce),</p> <p>MBA (Hospital Admn.)</p> <p>MBA (Heritage Tourism Management)</p>	<p>Paper - I General (Compulsory)</p> <table border="0"> <tr> <td>a. Proficiency in English</td> <td>25 Marks</td> </tr> <tr> <td>b. General Reasoning and General Intelligence</td> <td>25 Marks</td> </tr> <tr> <td>c. General Awareness and General Science</td> <td>25 Marks</td> </tr> <tr> <td>d. Numerical Ability</td> <td>25 Marks</td> </tr> </table> <p>(25 questions in every section, Total 100 questions)</p> <p>Level - The level of (a), (b) and (c) above will be mainly as per the foundation course of undergraduate level of Universities and for section (d) will be related to elementary mathematics.</p> <p style="text-align: center;">Total Time – 90 minutes</p> <p>Paper - II</p> <table border="0"> <tr> <td>a. Interview</td> <td>10 Marks</td> </tr> <tr> <td>b. Group Discussion</td> <td>10 Marks</td> </tr> </table>	a. Proficiency in English	25 Marks	b. General Reasoning and General Intelligence	25 Marks	c. General Awareness and General Science	25 Marks	d. Numerical Ability	25 Marks	a. Interview	10 Marks	b. Group Discussion	10 Marks	<p>Test: 09.30 – 11:00 AM on July 02, 2014</p> <p>July 03, 2014 From 09.00AM -12.30 PM</p> <p>Result Declaration Evening July 04, 2014</p>	<p>Counselling for MBA courses All categories July 06, 2014</p> <p>Counseling for (Vacant seats) July 07, 2014</p>		
a. Proficiency in English	25 Marks																
b. General Reasoning and General Intelligence	25 Marks																
c. General Awareness and General Science	25 Marks																
d. Numerical Ability	25 Marks																
a. Interview	10 Marks																
b. Group Discussion	10 Marks																

Course	Format of Entrance Test	Date & Time of Entrance Test & Declaration of Results	Date of Counselling Time - 09.30 A.M. Place - Galav Sabhagar Jiwaji University
M.Phil. (All Subjects)	<p>Paper- I General (Compulsory)</p> <p>a. Proficiency in English 25 Marks b. General Reasoning and General Intelligence 25 Marks c. General Awareness and General Science 25 Marks d. Numerical Ability 25 Marks</p> <p>(25 questions in every section, Total 100Marks) Total Time – 90 minutes</p> <p>Level - The level of (a), (b) and (c) above will be mainly as per the foundation course being taught in Universities and for section (d) will be related to elementary mathematics.</p> <p>Paper- II Optional : Related to the subject Level – Post Graduate</p> <p>(75 questions, Total 150 Marks) Total Time – 90 minutes</p>	<p>Test: 09.30AM– 12:30 PM Date: July 20, 2014</p> <p>Result Declaration Evening July 21, 2014</p>	<p>Counseling for all categories :</p> <p>July 22, 2014</p> <p>in Respective Departments</p>

In order to qualify for under graduate, Physical Education, M.B.A. and M.Sc. Course, a candidate must secure in test at least 30% (25% for SC / ST / OBC) marks in the test. To qualify for M.Phil. Courses, a candidate must secure in test at least 50% (45% for SC / ST / OBC) marks in paper I & II taken together.

- 4.1.1 The candidates are required to answer on Optical Response Sheet (OMR) with dot pen / HB Pencil, which will be evaluated by OMR machine. They are, therefore, advised to bring dot pen / HB PENCIL & ERASING RUBBER on the day of examination.
- 4.1.2 The list of successful candidates will be prepared in accordance of their merit in entrance test. The list will be prepared for General and Reserved category, separately. **However, if a candidate of reserved category find his/her merit in both the lists, he/she will have choice to opt any of these.**
- 4.1.3 In the event of more than one candidate standing at the same index, following order of preference will be observed.
 - i. Candidate having passed the qualifying examination from Jiwaji University.
 - ii. Candidate having passed the qualifying examination from other university of M.P.
 - iii. Candidate having passed the qualifying examination from outside M.P.
 - iv. Candidate having passed the qualifying examination in 2014.
- 4.1.4 **Counselling**
 - 4.1.4.1 Counseling for the admissions will be held on scheduled time at Galav Sabhagar. The admission will be finalized then and there at the time of counseling. **Therefore, the candidates qualifying for counseling must report to the counseling team at Galav Sabhagar along with the Draft of the required fees in the name of the Registrar, Jiwaji University, Gwalior.** Applicants who fail to appear for counseling will forfeit their claim for admission.

- 4.1.4.2. The candidate is required to **resent personally** before the counseling team. He/she should bring all the documents i.e., mark sheets / degree pertaining to eligibility in original as well as proof (in original) of having passed the qualifying examination.
- 4.1.4.3. **On June 27, 2014 and July 05-07, 2014** counseling shall be held for **all graduate courses and post-graduate courses** (except physical education), respectively as per merit from the common merit list. Candidates from the reserved category, who qualify with general category candidates shall be admitted on unreserved seats, provided they give option for the same. A Waiting List shall be prepared for each course. In this list names of only those students will be included who report on the day of counseling but could not get admission in the course for which they applied. These waiting lists shall be used for admission to vacant seats subsequently.
- 4.1.4.4. After completion of counseling process for unreserved seats on **July 27, 2014 for graduate courses**, the counseling for reserved category seats will commence on the same day on the basis of the respective merit lists. During the process of counseling on **July 27, 2014**, when the list of successful SC/ST/OBC category candidates gets exhausted and the seats remain vacant; these will be converted in to unreserved category on the same day. An announcement in this regard will be made by the Registrar, Jiwaji University, Gwalior or any other Officer authorized to do so. These converted seats will be filled up from the candidates of general category. **If needed, counseling for vacant seats may be continued on June 28, 2014.**
- 4.1.4.5. Similarly, after completion of counseling process for unreserved seats on **July 05, 2014 for M.Sc.** courses and on **July 06, 2014** for **MBA** courses (except Physical Education Courses), the counseling for reserved category seats will commence on the same days. During the process of counseling on **July 05, 2014 and July 06, 2014**, when the list of successful SC/ST/OBC category candidates gets exhausted and the seats remain vacant, they will be converted to unreserved category on the same day, respectively. An announcement in this regard will be made by the Registrar, Jiwaji University, Gwalior or any other Officer authorized to do so. **If needed, counseling for vacant seats may be continued on July 07, 2014.**
- 4.1.4.6. After the counseling even if the seats remain vacant or they become vacant due to some or the other reasons, they will be filled up by the respective heads or coordinators as per the candidates merit in the admission test.
- 4.1.4.7. To find the place in waiting list, candidates are advised to enter their names in **Reporting Register**, which will be available at the counseling venue. Candidates fail to enter their names in the Reporting Register, will not find place in waiting list, In such case no claims of the students will be entertained.
- 4.1.4.8. However, **candidates who have appeared** in the qualifying examination and their final result is awaited can be given provisional admission provided they are in the merit list and their aggregate percentages in the semesters/years before the pending examination result are more than the minimum required for the concerned course. They are required to give an undertaking to the effect that their admission may be deemed cancelled in case they fail to produce their result of qualifying examination, with required eligibility percentages, by **July 30, 2014** . In

such cases there will be no refund of fees deposited and the given admission will stand cancelled.

- 4.1.4.9. After the counseling, if the course counselors are convinced with the claim of the candidate, he/she shall be issued an admission slip upon production of which he / she shall be entitled to deposit the requisite fees at the Bank counter of the Central Bank of India, University branch immediately. After depositing fee the candidate has to submit one copy of the Receipt Challan with the course counselors of respective department.
- 4.1.4.10. In case any of these conditions is not fulfilled by the candidate her / his candidature will be cancelled automatically.
- 4.1.4.11. In case a candidate fails to deposit **full fee** on the day / time of counseling then he/she will lose his/her candidature for admission and his/her seat will be allotted to the next candidate in the list. Further, after depositing the fees, if a candidate does not report back to the departmental counselors along with the fee Challan receipt, his/her case will be treated as nonacceptance of the offered admission and the offer of admission will stand as withdrawn.
- 4.1.4.12. If an open seat (non-payment category) becomes vacant at later stage, such seat will be given to the candidate admitted first in payment category seat.
- 4.1.4.13. Efforts will be made to complete the counseling by the same day. However, it may continue on the next day. The candidates are advised to come prepared accordingly. All the candidates are required to remain present during all the counseling days / hours at the venue. **Failing to report at the time of call, the candidate will forfeit his / her claim for admission.**

4.2 Category - II Admission to Non-Entrance Test Based Courses

4.2.1 List of Courses

S.no	Level	Course		
1.	Graduate	B. Lib. I. Sc.		
2.	Post Graduate	M. Lib. I. Sc.	M.Sc. Physics	M.Com.
		M.A. English	M.Sc. Electronics	
		M.A. French	M.Sc. Mathematics	
		M.A. Hindi	M.Sc. Geology	
		M.A. Psychology	M.Sc. Chemistry	
		M.A. Sanskrit	M.Sc. Remote Sensing &GIS	
		M.A. History	M.Sc.Environmental Science	L.L.M.
		M.A. Extension Education & Social Work	M.A. Education	
		M.A. Political Science	M.Sc. Botany	
		M.A. Public Admn.	M.Sc. Zoology	Master of Journalism & Mass Comm. (MJMC)
		M.A. Economics	M.Sc.Industrial Chemistry	
		M.A. Jyotirvigyan	M.Sc. Biochemistry	
M.A. Ancient Indian History, Culture & Archaeology	M.Sc. Computer Science			
		M.Sc. Molecular and Human Genetics (MHG)		
3.	P.G. Diploma	Marketing Management, Advertising and Sales Administration	Yoga Tharepy	Retail Management
		Financial Administration	Computer Applications (PGDCA)	Forensic Science.
4.		French	English	Museology
5.	Certificate	French	English	
6.	Courses conducted by Institute of Distance Education	B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A. (RTM), B.Lib.I.Sc., BJMC, M.A. (Drawing & Painting, English, Economics, Geography, Hindi, History, Sanskrit, Sociology, M.S.W., B.Sc. (IT), M.Sc. (IT) MBA (C.S.M.M., RTM) (each of TWO years duration), MBA(General), P.G. Diploma in : Psychological Counseling, Computer Applications		

4.2.2 Admission Process

The rules and regulations for admission in above listed courses are as below:

- 4.2.2.1. Admission to these courses shall be made on the basis of merit in qualifying exam. The merit for admission shall be decided on the basis of ***Index prepared on the basis of marks obtained in qualifying examination and the marks obtained in subject theory papers in which the student is seeking admission.***

4.2.2.2. Rules to Derive Index -

- i. For admission to the courses of Sciences and Life Sciences listed above subject index forms the basis of admission to a particular program. This index is calculated in the following way; the sum of aggregate marks obtained in B.Sc. and aggregate marks obtained in theory papers of the respective subject in all the six semesters taken together forms the Index Number. Finally, the Index number is represented out of 100.
- ii. For admission to the courses of Social Sciences and Commerce, total percentage of marks obtained in B.Sc. / B.A. / B. Com. (All the Three years/ all the six semester combined) forms the index number.
- iii. Admission to B. Lib. I. Sc. course shall be based upon percentage secured in qualifying examination. For the purpose of admission, higher marks secured at graduate level or post graduate level forms the Index number for admission.
- iv. For admission in M. Lib. I. Sc. course, marks secured in B. Lib. I. Sc. course or in any course recognized equivalent to B. Lib. I. Sc. forms the Index number.
- v. For various Under Graduate, Diploma and Certificate courses the merit list will be prepared on the basis of aggregate marks of Higher Secondary Examination (10+2).

4.2.2.3 In the event of more than one candidate standing at the same index, following order of preference will be observed.

- i. Candidate having passed the qualifying examination from Jiwaji University.
- ii. Candidate having passed the qualifying examination from other university in M.P.
- iii. Candidate having passed the qualifying examination from outside M.P.

In all these, Candidate having passed the qualifying examination in 2014 will be preferred.

4.2.3 Counselling

4.2.3.1. The list of the candidates eligible for admission in order of merit in the *Non-Entrance-Test-Based Courses* (Category II) will be displayed on the Notice Boards of the respective Schools of Studies on **July 07, 2014** by the evening and such candidates shall be eligible for counseling.

4.2.3.2. All the eligible candidates whose names appear in the above mentioned lists shall report for counseling in the respective School of Studies on **July 08, 2014 at 12:00 Noon**. He/she is required to bring following original documents along with a photocopy of each:

- a. Mark sheets of all years/semesters of qualifying exams;
- b. Transfer Certificate;
- c. Original copy of Eligibility Certificate (Only those candidates who have passed qualifying exam from some other University);
- d. Original copy of Migration Certificate (Only those candidates who have passed qualifying exam from some other University)
- e. SC / ST/ OBC / FF / Physically Handicapped and Income certificate issued by competent authorities.

4.2.3.3. Admission of such candidates will be decided at the time of counseling and they will be required to **deposit fees immediately** after the issue of the admission slip. Therefore, the candidates reporting for counseling must bring the **Demand Draft of the required fees** in the name of the **Registrar, Jiwaji University, Gwalior** which must be deposited to the

University immediately. After depositing the fees at the fee counter located in the bank, he/she should report back to the counseling team along with the fee challan receipt.

- 4.2.3.4. In courses **where the admissions are given on the basis of merit obtained** in qualifying examination, **provisional admission** can only be given if the seats are vacant and no candidate is available with required eligibility. But in such cases their aggregate percentages in the semesters / years before the pending examination results should be more than the minimum required for the concerned course. They are required to fetch an undertaking to the effect that their admission may be cancelled in case they fail to produce their result of qualifying examination with required eligibility percentages by **July 30, 2014**. If they fail to do so their admission will stand cancelled and they will not be given any refund of fee deposited by them while seeking admission.
- 4.2.3.5. In case a candidate fails to deposit fees on the day/time of counseling then he/she will lose his/her candidature for admission and his/her seat will be allotted to the next candidate in merit list. Further, after depositing the fees, if a candidate does not report back to the counseling team along with the fee receipt then his/her case will be treated as nonacceptance of the offered admission and such offer stands withdrawn.
- 4.2.3.6. If a candidate is absent on the day of the counseling, he/she will be marked absent and will lose his/her candidature for admission.

5. Location of Entrance Test

- 5.1 **Entrance Test will be conducted within the University.** Exact location will be notified on the notice boards located at Galav Sabhagar, Enquiry Office of the Jiwaji University Gwalioer.
- 5.2 Admission process for Non- Entrance Test Based Courses will be conducted in respective departments.

6. Refund of Fee

- 6.1 If any candidate leaves the course or desires to cancel his / her admission before the **last counseling viz. 22 July, 2014** the fee will be returned to him / her after deducting 10% of the fees deposited by him/her. Only caution money will be refunded if a candidate leaves any course after the said date.
- 6.2 If a candidate seeks admission to another course offered by the University till **last counseling day**, the fees may be transferred to that course after deducting 10% of the total fee deposited. Thus, the candidate will be required to pay only 10% of the extra fee for another course. No change in the subject / course will be permitted after **last counseling day**. *An applicant will be permitted to change his/her course only once.*
- 6.3 In case where candidates have fetched an undertaking to the effect that their admission may be cancelled in case they fail to produce their result of qualifying examination with required eligibility percentages by **July 30, 2014**, there will be not get any refund of admission fee.
- 6.4 If a provisionally admitted student is declared fail, his/her deposited fees will be refunded after deducting 10% of the fees deposited by him/her.

7. Other Important Points

- 7.1 Any situation, not covered by provisions mentioned in this Prospectus shall be referred to the Admission Committee which will work within the ambit of Act, Statutes and Ordinances of Jiwaji University, Gwalior and its decision shall be final.
- 7.2 The legal disputes, if any, shall be settled in the within the legal jurisdiction of Gwalior.
- 7.3 University reserves the right to start or not to start any of the courses mentioned in this prospectus.
- 7.4 For few courses of the University, entrance exam is conducted by the agency as shown in the table below -

S.No.	Courses	Agencies that conduct Entrance Test
1-	B.E. Chemical/B.E. Electronics/ B.E. Computer Science	M.P. - P.E.T. conducted by M.P. Professional Examination Board, Bhopal.
2-	M.C.A. and M.B.A.	Pre-M.C.A. and M.P.-M.E.T.- conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.
3-	B. Pharmacy	MP- Pharma-JET, conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.

The students who take admission through entrance test conducted by any external agency mentioned above will be required to procure and fill admission form of the Jiwaji University at the time of reporting for admission at the University.

- 7.5 Ragging, teasing, torturing or making nuisance in any way inside or outside the campus has been declared as a serious offence and strict action shall be taken against those who will be found involved in such activities.
- 7.6 If any incident of ragging comes to the notice of the University, the concerned student shall be given liberty to explain and if his / her explanation is not found satisfactory, the University would expel him / her from the institution.
- 7.7 If admitted students in a particular self supported course happen to be less than **05 in M.Phil.** and **10 in all other courses**, University *may or may not run* such courses in academic session 2014-15. In such circumstances the students will get refund of full fees.
- 7.8 Fee from SC/ST candidates shall be charged as per the rules of Govt. of M.P. The total fees paid by such candidates shall be decided on the basis of their parent's total annual income.
- 7.9 ***However if such candidate take admission against a payment seat, they are required to pay payment fees at the time of admission in addition to the caution money.***
- 7.10 If any applicant secure admission on the basis on forged certificate/s or by furnishing wrong information or by willingly concealing the adverse facts, University can cancel his/her admission at any time and no refund of fees will be done.

- 7.11 If it is noticed that a particular admission is wrongly made due to administrative or official negligence of the Course counselors, it will be cancelled immediately. In such case the candidate will get full refund of the fees deposited.
- 7.12 If a student, after taking regular admission, is continuously absent for 15 days without proper reason or prior permission or information, his/her admission may be cancelled.
- 7.13 The student is require to complete her / his ***undergraduate degree in five years*** and ***post graduate degree in three years*** from the ***date of admission***. If she / he fail to do so, they will have to leave the course. More over they will not get any refund of the deposited fees.

वि विद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सम्बन्धी सामान्य नियम

1. प्रवेश के लिये अर्हता एवं अन्य सम्बन्धित नियम

1.1 प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत एवं प्रवेश परीक्षा में बैठने की पात्रता –

1.1.1 वि विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत एवं प्रवेश परीक्षा में अर्हता की जानकारी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विभाग के विवरण में इसी विवरणिका में दी गई है। लगभग सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अर्हता, अर्हताकारी परीक्षा में औसतन 50 प्रतिशत अंक पाना है। म0प्र0 के मूल रूप से निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। निशक्तजन (म0प्र0 शासन द्वारा परिभाषित) को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

1.1.2 निर्धारित अर्हता प्रतिशत के आवेदक के उपलब्ध न होने की स्थिति में, बिना प्रवेश परीक्षा वाले पाठ्यक्रमों में रिक्त स्थानों पर ऐसे आवेदक जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, को प्रवेश दिया जायेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी ऐसे आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसके अर्हताकारी परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक हों, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो।

1.1.3 महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिक छात्र एवं छात्राओं को ज्यार्तिविज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

1.1.4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके अन्तिम प्रवेश परीक्षा बिन्दु क्रमांक 6.3 एवं 6.4 से निर्दिष्ट होंगे।

1.1.5 जिन अभ्यर्थियों ने अर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हें उस विश्वविद्यालय का अर्हता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.1.6 नये प्रवेश, पाठ्यक्रमों के केवल प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में ही किये जायेंगे।

1.1.7 ऐसे छात्र जिनके अभिभावकों का स्थानान्तरण ग्वालियर भाहर में हुआ है उनको अन्य सेमेस्टर में भी प्रवेश दिया जा सकता है।

1.2 आयु सीमा –

मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार 01 जुलाई, 2014 को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से अपंग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। निशक्त जन वर्ग के आवेदकों के लिए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 35 वर्ष होगी। राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं, के द्वारा प्रत्याभूतित छात्रों के लिये अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। ऐसे

छात्र जो पेमेन्ट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान यदि विदेशी मुद्रा में करते हैं एवं महिला/छात्रा अभ्यर्थियों के लिये भी अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। एल.एल.एम., एम0बी0ए0 हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एवं ज्योतिर्विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भी अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं है। पार्ट टाइम, एम0बी0ए0 हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एवं दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

1.3 प्रवेश हेतु अपात्रता—

1.3.1 जिनकी आयु, निर्धारित आयु सीमा से अधिक है।

1.3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हतादायी परीक्षा की पूरक / ATKT (प्रथम से पंचम सैमेस्टर तक)परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

1.3.3 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी संकाय के एक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उसी संकाय के अन्य समान स्तर के पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर कोई आवेदक किसी विषय में प्रवेश लेकर किन्हीं कारणोंवश अध्ययन जारी नहीं रखता है, या छोड़ देता है, तो उसे पुनः उसी विषय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

1.3.4 ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किये जा चुके हैं या जिनके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गम्भीर प्रमाणित आरोप हों या जिनके विरुद्ध इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी हो, वह सभी छात्र प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं।

1.3.5 सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले सकते जो कार्यालयों के कार्यालयीन समय पर चलते हैं। फिर भी वे उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं जो नियमित कार्यालयीन समय के उपरान्त संचालित होते हैं जिसके लिए उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.4 प्रवेश सूचकांक में लाभदेयता —

1.4.1 निम्नांकित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर एवं प्रवेश सूचकांक में 5% अधिभार दिया जायेगा। यह अधिभार प्रवेश परीक्षा आधारित एवं बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी की मेरिट निर्धारित करते समय प्रदान किया जायेगा।

(i) एन0 एस0 एस0 का 240 घण्टे कार्य करने सम्बन्धित या बी/सी प्रमाण-पत्र।

(ii) एन0 सी0 सी0 का सी सर्टिफिकेट।

(iii) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालयीन स्तर की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता।

(iv) खेल-कूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय/ अन्तर्विश्वविद्यालयीन स्तर पर सहभागिता।

(v) अर्हताकारी परीक्षा यदि जीवाजी विश्वविद्यालय अथवा मध्यप्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण हो।

नोट — किसी भी अवस्था में कुल अधिभार 05 प्रति शत से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही सूचकांक (Index) की गणना हेतु उपयोग में लाया जायेगा। अधिभार का उपयोग अर्हता में नहीं किया जायेगा। इसका उपयोग केवल वरीयता क्रम

निर्धारित करने में किया जायेगा । लाभदेयता से लाभान्वित होने हेतु सम्बन्धित प्रमाणपत्र आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें। आवेदनपत्र जमा करने के पचास जमा किये गये प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। यदि कोई आवेदक एक से अधिक श्रेणी में अधिभार की आर्हता रखता है तो उसे उस एक श्रेणी में ही अधिभार दिया जावेगा जिसमें उसकी पात्रता सर्वाधिक होगी।

1.4.2 शारीरिक रूप से अपंग आवेदकों के लिये उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा/प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ प्रदान कर प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी ।

1.4.3 जिन आवेदकों ने बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. ऑनर्स किया है, उन्हें भी उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत का अधिभार प्रदान कर उनके प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी।

1.5 विशिष्टीकरण (Specialisation) देने संबंधी नियम –

ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें विशिष्टीकरण (Specialisation) को लेने का विकल्प है, के लिये विशिष्टीकरण प्रश्न-पत्रों में प्रवेश का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

1.5.1 प्रत्येक विशिष्टीकरण हेतु बराबर स्थान उपलब्ध होंगे। उपलब्ध स्थानों की संख्या तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

1.5.2 विशिष्टीकरण का आवंटन मेरिट तथा व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किया जायेगा। मेरिट, पिछले सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

1.5.3 किसी विशिष्टीकरण के चलाने या न चलाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

1.6 एन. आर. आई. एवं प्रायोजित वर्ग का प्रवेश –

1.6.1 एन. आर. आई. वर्ग के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त आवेदकों का प्रवेश उस पाठ्यक्रम एवं संवर्ग के लिये निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत होना अनिवार्य है। उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी।

1.6.2 प्रायोजित सीट्स पर प्रवेश उन्हीं आवेदकों को दिया जायेगा जो आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी करते हों। उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। काउन्सिलिंग से पहले एक अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से प्रायोजित करने संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा

1.6.3 उन्हीं अभ्यर्थियों को ही प्रायोजित की श्रेणी में माना जायेगा जिन्हें राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं, के द्वारा प्रायोजित किया गया हो या उनके द्वारा पेमेन्ट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान यदि विदेशी मुद्रा में किया जाता है।

1.6.4 उक्त आवेदकों को विवरणिका से साथ संलग्न आवेदन-पत्र में आवेदन करना होगा तथा प्रायोजित शुल्क रु. 25,000/- पेमेन्ट शीट के लिये निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जमा करने होंगे। उन्हें पाठ्यक्रम अवधि के दौरान नियोक्ता से अवकाश भी लेना होगा।

1.7 अन्य –

1.7.1 प्रवेश नियमों से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी विवरणिका में दिये गये प्रत्येक पाठ्यक्रम के विस्तृत विवरण में अलग से की गयी है।

2. सीटों का आरक्षण

- 2.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न वर्गों के लिये घोषित आरक्षण नीति केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये ही लागू होगी।
- 2.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए 16 तथा 20 प्रति शत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तन मिल होंगे।
- 2.3 पिछड़े वर्ग के (चिकनी परत को छोड़कर) आवेदकों के लिए 14 प्रति शत स्थान आरक्षित होंगे।
- 2.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र और पौत्रियों को, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों, भूतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों को तथा निवृत्तजन श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रति शत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तियों के 10 प्रति शत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जायेगा। निवृत्तजन श्रेणी के आवेदक के लिए 03 प्रति शत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जायेगा। If an applicant is eligible for weightage in more than one category, the benefit of the same will only be given in a category where highest weightage accrue to him/her
- 2.5 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रति शत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।
- 2.6 बाह्य संस्थाओं जैसे (DTE आदि) द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त समस्त पाठ्यक्रमों में दो अतिरिक्त स्थान निर्मित होंगे।
 - 2.6.1 एक स्थान विविद्यालय के नियमित शिक्षकों एवं अधिकारियों के वार्ड्स के लिए।
 - 2.6.2 एक स्थान विविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वार्ड्स के लिए।वार्ड्स का आय विभाजक/अधिकारी/कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा उन पर निर्भर सगे भाई एवं बहिन से है। इस वावत् कुलसचिव, जीवाजी विविद्यालय, ग्वालियर/सक्षम प्राधिकारी से आदेशित प्रमाणपत्र प्राप्त करना वांछनीय होगा।

इस प्रकार के निर्मित स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 2.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी।
- 2.8 आरक्षित स्थान का प्रति शत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रति शत एवं एक प्रति शत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 2.9 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/छात्रायें उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- 2.10 सक्षम जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण एवं अतिरिक्त सीटों का लाभ देय होगा।

- 2.11 उम्मीदवार (अभ्यर्थी) द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, का सुस्पष्ट उल्लेख किया जाये। इस विकल्प की किसी भी स्थिति में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- 2.12 जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0 आर0 आई0 सीट पर हुआ है, उनका स्थानान्तरण अन्य वर्ग की सीट्स पर नहीं किया जायेगा। लेकिन उसने अगर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा वह मेरिट सूची में प्रवेश हेतु पात्रता रखता है तो वह अपना स्थानान्तरण अन्य वर्ग की सीट्स पर करा सकता है।
- 2.13 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर उनका परस्पर रूपान्तरण मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार किया जायेगा। **परस्पर रूपान्तरण केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये रिक्त आरक्षित स्थान के बीच किया जावेगा।** अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उनका **रूपान्तरण बिन्दु क्रमांक 4.1.4 के अनुसार होगा।**

3. आवेदन कैसे करें ?

- 3.1 ऐसे छात्र जो प्रवेश के लिये आवेदन करना चाहते हैं उनको विज्ञापन का अवलोकन करना चाहिए यह विज्ञापन समाचार पत्र तथा वि. वि. विद्यालय की वेबसाइट www.jiwaji.edu पर उपलब्ध रहेगा। विज्ञापन को देखकर छात्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे किस विषय एवं कितने विषयों में प्रवेश हेतु आवेदन करना है यह सुनिश्चित करने के पश्चात् छात्र को एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट mponline.gov.in पर जाना होगा उक्त साइट पर संपर्क करने के लिये छात्र एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क केन्द्र पर जाकर वहाँ उपस्थित जिम्मेदार व्यक्ति से जीवाजी वि. वि. विद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने के लिए कहेंगे। कियोस्क पर उपलब्ध व्यक्ति छात्र को आवेदन पत्र के प्रारूप को भरने में सहायता करेगा। कियोस्क पर जाते समय छात्र पासपोर्ट आकार के अपने दो छायाचित्र लेकर अवश्य जाये जिससे कि उन फोटो को स्कैन कर आवेदन पत्र पर चस्पा किया जा सके।
- 3.2 विद्यार्थी को आवेदन पत्र में अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, कटेगरी जिससे कि वह संबंधित है, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, पत्र व्यवहार का पता, अन्य गतिविधियों में सहभागिता, छात्र सेवारत है या नहीं इसका प्रमाण, शैक्षणिक रिकॉर्ड, जैसे कि 10 वी, 12वी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की जानकारी भरना होगी। इसके अलावा उसे अपने पिताजी का नाम, व्यवसाय तथा पत्र व्यवहार हेतु पते की भी जानकारी प्रविष्ट करनी होगी। अन्त में छात्र को घोषणा भी हस्ताक्षरित करनी होगी तथा अपने दूरभाष क्रमांक की जानकारी भी आवेदन पत्र में देनी होगी।
- 3.3 कियोस्क पर उपस्थित व्यक्ति आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विद्यार्थी को आवेदन पत्र, भुगतान की गई फीस की रसीद एवं प्रवेश-पत्र जिस पर कि छात्र को आवंटित रोल नंबर अंकित होगा, का प्रिंटआउट प्रदान करेगा। कियोस्क से प्राप्त भरा हुआ आवेदन फार्म अपनी सभी अंकसूची की फोटो कॉपी, जातिप्रमाण-पत्र, एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में सहभागिता के प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति लगाकर **अध्यक्ष, प्रवेश समिति, भैतिकी अध्ययनशाला, जीवाजी**

- वि विद्यालय, ग्वालियर-474011 को निश्चित दिनांक से पूर्व स्पीड-पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से भेजना होगी। छात्र उक्त दस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर चिन्हित केन्द्र यथा- इतिहास अध्ययन गाला, प्रबन्ध अध्ययन गाला, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययन गाला, एवं पुस्तकालय में भी जमा कर सकता है।
- 3.4 एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि **15 जून 2014** है इसके पश्चात् 500/- रुपये विलम्ब शुल्क सहित **20 जून 2014** को एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ही भरे जा सकेंगे। आवेदन-पत्र एवं प्रपत्रों की फोटों कॉपी वि विद्यालय प्रवेश समिति के कार्यालय में **22 जून 2014** तक आवश्यक रूप से पहुँच जाना चाहिए।
- 3.5 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये पंजीयन शुल्क 100/- रुपये प्रथम से कियोस्क पर ही जमा करने होंगे। (अगर कोई छात्र तीन पाठ्यक्रम के लिये आवेदन करता है तो उसे 500+300= 800 रुपये जमा करने होंगे।) छात्र अधिकतम **पाँच पाठ्यक्रम** के लिये आवेदन कर सकता है।
- 3.6 ऊपर वर्णित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर वि विद्यालय विचार नहीं करेगा।

4. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया

वि विद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की दृष्टि से दो वर्ग हैं -

वर्ग - 1 प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम

वर्ग - 2 बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम

उक्त वर्गों में शामिल होने वाले पाठ्यक्रम एवं उनमें प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार हैं -

4.1 वर्ग - 1 प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया -

वि विद्यालय द्वारा इस वर्ग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा प्रारूप	प्रवेश परीक्षा की दिनांक, समय तथा परिणाम की घोषणा	काउन्सिलिंग की तिथि समय - प्रातः 09.30 पर स्थान - गालव सभागार
स्नातक B.B.A./B.C.A./B.T.M./ B.A.L.L.B./B.H.M.&C.T/ B.M.	a. सामान्य ज्ञान 25 अंक b. सामान्य अंग्रेजी 25 अंक c. गणितीय योग्यता 25 अंक d. तर्क शक्ति 25 अंक (प्रत्येक भाग में 25, कुल प्रश्न 100) स्तर - 10+02 कुल समय - 90 मिनट	परीक्षा - 25 जून 2014, प्रातः 09.30-11.00 परिणाम घोषणा - 26 जून 2014, सायं	काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए - 27 जून, 2014 सभी वर्गों के लिए
शारीरिक शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम B.P.Ed., M.P.Ed.	प्रथम परीक्षा - बी0पी0एड0 एम0पी0एड0 लिखित परीक्षा 100 अंक 100 अंक समय 02 घंटा 02 घंटे स्तर - बी0पी0एड0 - खेल, शारीरिक शिक्षा एवं एरोबिक्स में सामान्य ज्ञान। एम0पी0एड0 - बी0पी0एड0 स्तर (विस्तृत रूपरेखा शारीरिक शिक्षा विभाग के विवरण में देखें) द्वितीय परीक्षा बी0पी0एड0 एम0पी0एड0 (अंक) (अंक) मीटर फिटनेस परीक्षा 100 100 खेल परीक्षा 100 100 समूह चर्चा 10 10 व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार 10 10	परीक्षा - 08, जुलाई 2014 प्रातः 09.30-11.30 09-11, जुलाई 2014, प्रातः 06.00 पर विश्वविद्यालय के खेल मैदान में समूह चर्चा एवं साक्षात्कार - 11, जुलाई 2014, परिणाम घोषणा - 11, जुलाई 2014, सायं	काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए - 12 जुलाई, 2014

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा प्रारूप	प्रवेश परीक्षा की दिनांक, समय तथा परिणाम की घोषणा	काउन्सिलिंग की तिथि समय – प्रातः 09.30 पर स्थान – गालव सभागार
	व्यक्तिगत खेल उपलब्धियाँ मेडिकल फिटनेस परीक्षा* (विस्तृत रूपरेखा शारीरिक शिक्षा विभाग के विवरण में देखें) * केवल उन्हीं छात्रों के लिए जिनका अंतिम प्रवेभा सूची में स्थान हो	(03 से 30 अंक, स्पर्धाओं के स्तर के अनुरूप) फिट होना फिट होना	
Post Graduate (M.Sc.) Instrumentation & Commercial Methods of Analysis (MICA) Environmental Chemistry Pharmaceutical Chemistry Biomedical Technology, Microbiology, Neuroscience, Food Technology, Biotechnology,	प्रवेश परीक्षा हेतु निम्न किन्हीं दो विषयों का चयन a. बायोटेक्नोलॉजी 150 अंक b. वनस्पति विज्ञान 150 अंक c. रसायन शास्त्र 150 अंक d. गणित 150 अंक e. माइक्रो बायोलोजी 150 अंक f. भौतिक शास्त्र 150 अंक g. जन्तु विज्ञान 150 अंक (प्रत्येक विषय में कुल प्रश्न 75 प्र न, कुल 150 प्र न) स्तर – स्नातक कुल समय – 150 मिनट	परीक्षा – 02, जुलाई 2014, प्रातः 09:30–11:30 परिणाम घोषणा – 04, जुलाई 2014, सायं	एम.एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए 05 जुलाई, 2014 सभी वर्गों के लिए (रिक्त स्थान) – 07 जुलाई 2014
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम – एमबीए MBA CSMM, MBA Financial Administration, MBA Tourism Administration , MBA Business Economics , MBA HRD, MBA E-Commerce, MBA Hospital Administration & MBA Heritage Tourism Management	प्रथम परीक्षा a. अंग्रेजी भाषा में दक्षता 25 अंक b. सामान्य तर्क एवं बुद्धि 25 अंक c. सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान 25 अंक d. गणितीय योग्यता 25 अंक (प्रत्येक भाग में 25, कुल प्रश्न 100) स्तर – भाग a, b, एवं c का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक स्तर के आधार पाठ्यक्रम एवं d भाग का पाठ्यक्रम सामान्य गणित पर आधारित रहेगा। कुल समय – 90 मिनट	परीक्षा – 02 जुलाई 2014, प्रातः 09:30–11.00 परिणाम घोषणा – 04, जुलाई 2014, सायं	एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए – 06 जुलाई, 2014 सभी वर्गों के लिए (रिक्त स्थान) – 07 जुलाई 2014
	द्वितीय परीक्षा साक्षात्कार 10 अंक समूह परिचर्चा 10 अंक	परीक्षा – 03, जुलाई 2014, प्रातः 09:00 से 12:30 तक परिणाम घोषणा – 04, जुलाई 2014, सायं	

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा प्रारूप	प्रवेश परीक्षा की दिनांक, समय तथा परिणाम की घोषणा	काउन्सिलिंग की तिथि समय – प्रातः 09.30 पर स्थान – गालव सभागार
M.Phil सभी विषय	<p>Paper- I General (Compulsory)</p> <p>a. अंग्रेजी भाषा में दक्षता 25 अंक b. सामान्य तर्क एवं बुद्धि 25 अंक c. सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान 25 अंक d. गणितीय योग्यता 25 अंक</p> <p>(प्रत्येक भाग में 25 प्रश्न कुल अंक 100) कुल समय – 90 मिनट</p> <p>स्तर – भाग a, b, एवं c का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक स्तर के आधार पाठ्यक्रम एवं d भाग का पाठ्यक्रम सामान्य गणित पर आधारित रहेगा।</p> <p>Paper- II Optional : विषय से संबंधित स्तर – स्नातकोत्तर</p> <p>(75 प्रश्न कुल अंक 150) कुल समय – 90 मिनट</p>	<p>परीक्षा – 20, जुलाई, 2014, प्रातः 09:30 से 12:30 तक परिणाम घोषणा – 21, जुलाई, 2014, सायं</p>	<p>काउन्सिलिंग की तिथि सभी वर्गों के लिए 22 जुलाई, 2014 अलग अलग विभागों में</p>

In order to qualify for Undergraduate, Physical Education, MBA and M.Sc. Courses a candidate must secure in test at least 30% (25% for SC / ST / OBC) marks in paper I & II taken together. To qualify for M.Phil. Courses a candidate must secure in test at least 40% (35% for SC / ST / OBC) marks in paper I & II taken together.

- 4.1.1 परीक्षा के दौरान आवेदकों को प्रश्नों के उत्तर OMR Sheet पर एच0बी0 पेंसिल / Dot Pen से अंकित करने हैं जिनका मूल्यांकन ओ0एम0आर0 मशीन द्वारा किया जायेगा । अतः आवेदकों को परीक्षा के दिन एच0बी0 पेंसिल तथा रबर साथ लेकर आना है ।
- 4.1.2 प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गयी मेरिट सूची के आधार पर किये जायेंगे। सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के लिए सूची अलग-अलग बनायी जायेगी । अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित एवं सामान्य, दोनों वर्गों की सूची में स्थान पाता है तो वह दोनों विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है ।
- 4.1.3 एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा-
- अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ।
 - अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ।
 - अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है ।
 - जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा 2014 में उत्तीर्ण की है ।

4.1.4 काउन्सिलिंग

- 4.1.4.1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग निर्धारित समय पर गालव सभागार में शुरू होगी। काउन्सिलिंग के समय ही अन्तिम रूप से प्रवेश दे दिया जायेगा। अतः प्रावीण्य सूची में

अंकित छात्र काउन्सिलिंग के समय निर्धारित फीस का बैंक ड्राफ्ट/नगद लेकर (गालव सभागार) के काउन्सिलिंग हॉल में उपस्थित रहें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम प्रावीण्य सूची में तो है लेकिन वह काउन्सिलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं तो वह प्रवेश हेतु अपना अधिकार खो देंगे।

- 4.1.4.2. अभ्यर्थी को स्वयं काउन्सिलिंग टीम के समक्ष उपस्थित होना है। **अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के समय सभी मूल प्रपत्र जो कि उसकी पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश की अर्हता दर्शाते हैं, जैसे कि – अंक सूचियाँ/उपाधियाँ अथवा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने अर्हताकारी परीक्षा के साथ उत्तीर्ण कर ली है, के साथ उपस्थित रहना है।**
- 4.1.4.3. **27 जून, 2014** को सभी स्नातक पाठ्यक्रमों तथा **05-07 जुलाई, 2014** को समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (शारिरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को छोड़कर) के लिये मेरिट के आधार पर समस्त स्थानों के लिये काउन्सिलिंग होगी। आरक्षित श्रेणी का कोई छात्र जिसने अपना विकल्प इस हेतु दिया हो उसे इन स्थानों हेतु मेरिट के आधार पर योग्य पाये जाने पर अनारक्षित स्थान पर प्रवे । दिया जा सकता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में केवल उन्हीं छात्रों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे जिन्होंने काउन्सिलिंग के दिवस उपस्थिति दर्ज कराई गई है परन्तु उन्हें उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सका जिसमें उन्होंने आवेदन किया था। यह प्रतीक्षा सूची बाद में खाली हुए रिक्त स्थानों पर प्रवे । के लिये ही उपयोग में लायी जायेगी।
- 4.1.4.4. **27 जून, 2014** को स्नातक पाठ्यक्रम के अनारक्षित स्थानों हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् आरक्षित स्थानों के लिये प्रावीण्य सूची के आधार पर उसी दिन काउन्सिलिंग प्रारम्भ कर दी जायेगी। काउन्सिलिंग के प चात् जब सफल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जायेगी और उसके प चात् भी **27 जून, 2014** को कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो इन स्थानों को अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस संबंध में कुलसचिव, जीवाजी वि विविद्यालय, ग्वालियर या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा घोषणा की जायेगी। तत्प चात् अनारक्षित वर्ग के लिये काउंसलिंग को जारी रखा जावेगा। अगर आव यकता होगी तो काउन्सिलिंग **जून 28, 2014** को भी जारी रखी जायेगी।
- 4.1.4.5. इसी प्रकार **05 जुलाई, 2014 को एम.एससी.** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के अनारक्षित स्थानों हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के एवं **06 जुलाई, 2014 को एम.बी.ए.** पाठ्यक्रमों हेतु काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् आरक्षित वर्ग की प्रावीण्य सूची के आधार पर आरक्षित वर्ग के स्थानों हेतु काउन्सिलिंग उन्हीं दिवसों में ही सम्पन्न होगी। काउन्सिलिंग के प चात् जब सफल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात् ही **05 एवं 06 जुलाई, 2014** को कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हीं दिवसों में इन स्थानों को अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस संबंध में **05 जुलाई, 2014 एवं 06 जुलाई, 2014** को कुलसचिव, जीवाजी वि विविद्यालय, ग्वालियर या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा सांय 5. 30 बजे घोषणा की जायेगी। अगर आव यकता होगी तो काउन्सिलिंग **07 जुलाई, 2014** को

भी जारी रखी जायेगी। तत्पश्चात् रिक्त स्थानों के लिये काउन्सिलिंग सम्बन्धित विभागों में की जायेगी।

- 4.1.4.6. रिक्त स्थानों हेतु काउन्सिलिंग में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जिन्होंने पूर्व में काउन्सिलिंग की तिथियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है तथा उनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने के लिये अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे काउन्सिलिंग स्थान पर उपलब्ध उपस्थिति पत्रक में अपना नाम दर्ज करें, जो अभ्यर्थी उपस्थिति पत्रक में किसी कारणवश अपना नाम अंकित नहीं करेगा उसे प्रतीक्षा सूची में स्थान नहीं मिलेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- 4.1.4.7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार के अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय प्राविधिक प्रवेश दिया जा सकता है, अगर उन्होंने प्रवेश हेतु मेरिट में स्थान बनाया है तथा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्रतिशत उस पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्रतिशत के बराबर अथवा अधिक हैं। किन्तु ऐसे आवेदकों को भी इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम **30 जुलाई 2014** तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त माना जाये। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।
- 4.1.4.8. परामर्श के दौरान परामर्शदात्री समिति के संतुष्ट होने पर वह अभ्यर्थी को एक पर्ची देगी जिसको दिखाकर अभ्यर्थी निर्धारित फीस, विश्वविद्यालय के कैंस काउन्टर पर उसी समय जमा करेगा। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति संबंधित विभाग के पास जमा करेगा।
- 4.1.4.9. अगर अभ्यर्थी ऊपर वर्णित किसी भी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहता है तो उसकी प्रवेश हेतु उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 4.1.4.10. अगर कोई अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के दिन/समय सम्पूर्ण फीस जमा नहीं करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वह सीट उसके बाद जिस अभ्यर्थी का नाम होगा उसे दे दी जायेगी। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति संबंधित विभाग के पास जमा नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसे दिया गया प्रवेश मान्य नहीं है, तथापि प्रवेश रद्द माना जायेगा।
- 4.1.4.11. यदि कोई ओपन सीट किसी पाठ्यक्रम में खाली होती है तो उस दशा में उस सीट को भरने का प्रथम अधिकार उस छात्र का होगा जो पैमेंट सीट पर मेरिट में प्रथम स्थान पर है।
- 4.1.4.12. प्रयास यह होगा कि काउन्सिलिंग एक दिन में ही पूर्ण कर ली जाये, लेकिन अगर आवश्यक हुआ तो उसे दूसरे दिन भी जारी रखा जा सकता है। सभी अभ्यर्थी इस परिस्थिति के लिये तैयार होकर आयें। सभी अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के दिन पूर्ण समय तक काउन्सिलिंग हॉल में उपस्थित रहें। अगर वे उनका नाम पुकारे जाने के पश्चात् काउन्सिलिंग टीम के समक्ष

उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका प्रवेश हेतु अधिकार समाप्त समझा जायेगा तथा अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 वर्ग – II बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया –

4.2.1 पाठ्यक्रमों की सूची

वि विद्यालय द्वारा संचालित इस वर्ग के पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं –

S.no	Level	Course		
1	Graduate	B. Lib. I. Sc.		
2	Post Graduate	M. Lib. I. Sc.	M.Sc. Physics	M.Com.
		M.A. English	M.Sc. Electronics	
		M.A. French	M.Sc. Mathematics	
		M.A. Hindi	M.Sc. Geology	
		M.A. Psychology	M.Sc. Chemistry	
		M.A. Sanskrit	M.Sc. Remote Sensing &GIS	
		M.A. History	M.Sc.Environmental Science	L.L.M.
		M.A. Extension Education & Social Work	M.A. Education	
		M.A. Political Science	M.Sc. Botany	
		M.A. Public Admn.	M.Sc. Zoology	Master of Journalism & Mass Comm. (MJMC)
		M.A. Economics	M.Sc.Industrial Chemistry	
		M.A. Jyotirvigyan	M.Sc. Biochemistry	
M.A. Ancient Indian History, Culture & Archaeology	M.Sc. Computer Science			
		M.Sc. Molecular and Human Genetics (MHG)		
3	P.G. Diploma	Marketing Management, Advertising and Sales Administration	Yoga Tharepy	Retail Management
		Financial Administration	Computer Applications (PGDCA)	Forensic Science.
4		French	English	Museology
5	Certificate	French	English	
6	Courses conducted by Institute of Distance Education	B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A. (RTM), B.Lib.I.Sc., BJMC, M.A. (Drawing & Painting, English, Economics, Geography, Hindi, History, Sanskrit, Sociology, M.S.W., B.Sc. (IT), M.Sc. (IT) MBA (C.S.M.M., RTM) (each of TWO years duration), MBA(General), P.G. Diploma in : Psychological Counseling, Computer Applications		

4.2.2 प्रवेश प्रक्रिया –

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम एवं रेगुलेशन निम्नानुसार हैं –

4.2.2.1 इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग द्वारा दिया जायेगा। प्रवेश के लिये अभ्यर्थी की मेरिट इन्डेक्स, आर्हताकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक से निर्धारित की जायेगी।

4.2.2.2 सूचकांक (Index) निकालने के लिये नियम –

- i. विज्ञान एवं जीव विज्ञान के वे पाठ्यक्रम जो कि **वर्ग II** में चिन्हित हैं में प्रवेश हेतु **इन्डेक्स बी0 एस-सी0 परीक्षा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत एवं बी0 एस-सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सम्बन्धित विषय के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का योग** होगा। इस **इन्डेक्स** को प्रतिशत में दर्शाया जायेगा।
- ii. **कला, समाज विज्ञान एवं वाणिज्य** के विषयों के लिये बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0 की परीक्षा के **सैद्धान्तिक iz'u पत्रों में प्राप्त अंक** का प्रतिशत इन विषयों में प्रवेश हेतु **इन्डेक्स** होगा।
- iii. बी0लिब0 में प्रवेश आर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत की मेरिट से होगा। प्रवेश हेतु, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर, जिस भी स्तर पर भी अधिक अंक प्राप्त किये हैं, प्रवेश हेतु इन्डेक्स में शामिल किए जायेंगे।
- iv. एम0लिब0 में प्रवेश हेतु बी0लिब0 या यू0जी0सी0 द्वारा मान्य बी0लिब0 के समकक्ष पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिस भी पाठ्यक्रम में अधिक अंक प्राप्त किये हैं, प्रवेश हेतु इन्डेक्स में शामिल किए जायेंगे।
- v. विभिन्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों में मेरिट 10 + 2 परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार मानकर बनायी जायेगी।

4.2.2.3 एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा–

- i अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
- ii अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
- iii अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है।
- iv जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा 2014 में उत्तीर्ण की है।

4.2.3 काउन्सिलिंग

4.2.3.1 **वर्ग II** में दर्शाये गए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट सूची उनके इन्डेक्स के अनुसार प्रत्येक विभाग के सूचना पटल पर **07 जुलाई 2014 को सांय तक** चस्पा कर दी जायेगी। सिर्फ वही अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के लिये पात्र होंगे, जिनके नाम इन सूचियों में हैं।

4.2.3.2 वे सभी अभ्यर्थी जिनके नाम प्रावीण्य सूची में हैं, वे **दिनांक 08 जुलाई 2014 को अपरान्ह 12:00 बजे** सम्बन्धित विभाग में काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होंगे। वे अपने साथ निम्न प्रपत्र की मूल एवं एक फोटोप्रति लायेंगे –

क. आर्हताकारी परीक्षा के सभी वर्षों/सत्रों की अंकसूची,

ख. टी0 सी0,

- ग. अर्हता प्रमाण पत्र, की मूल प्रति (सिर्फ वह अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)
- घ. माईग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति (सिर्फ वह अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)
- 4.2.3.3 प्रावीण्य सूची के अनुसार अभ्यर्थी का प्रवेश काउन्सिलिंग के समय ही निश्चित कर दिया जायेगा तथा उसे फीस जमा करने हेतु एक स्लिप दी जायेगी। इस स्लिप को दिखाकर वह निर्धारित फीस, फीस काउन्टर पर जमा करेगा तथा रसीद की एक प्रति काउन्सिलिंग टीम के पास जमा करेगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित फीस का बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम देय होगा, लायेंगे अथवा कॅश काउन्टर पर निर्धारित कॅश जमा करेंगे। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति काउन्सिलिंग टीम के पास जमा करेगा।
- 4.2.3.4 ऐसे पाठ्यक्रमों में जहाँ प्रवेश हेतु केवल अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिफल को प्रवेश हेतु मेरिट बनाने में शामिल किया जाता है वहाँ प्रावधिक प्रवेश स्थान रिक्त होने तथा कोई योग्य अभियार्थी उपलब्ध न होने पर ही दिया जा सकता है। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्रतिफल उस पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्रतिफल के बराबर अथवा अधिक होना चाहिए। किन्तु ऐसे आवेदकों को भी इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम 30 जुलाई 2014 तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिफल के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त माना जाये। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।
- 4.2.3.5 उपरोक्त कोई भी भातों या निर्देशों को पालन अभियार्थी के द्वारा नहीं करने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 4.2.3.6 अगर कोई अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के दिन/समय फीस जमा नहीं करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वह सीट उसके बाद जिस अभ्यर्थी का नाम होगा उसे दे दी जायेगी। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति काउन्सिलिंग टीम के पास जमा नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसे दिया गया प्रवेश मान्य नहीं है, तथापि प्रवेश रद्द माना जायेगा।
- 4.2.3.7 काउन्सिलिंग के दिन जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें अनुपस्थित मानकर उनका नाम प्रवेश सूची से हटा कर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

5 प्रवेश परीक्षा का स्थान –

- 5.2 प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षाये विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जावेगी। विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा हेतु नियत स्थानों की जानकारी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित गालव सभागार, पूछताछ केन्द्र आदि के सूचना पटल पर उपलब्ध रहेगी।
- 5.3 बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया संबन्धित विभाग में ही सम्पन्न होगी।

6 शुल्क वापसी संबंधी प्रावधान

- 6.1 अगर कोई आवेदक अंतिम काउन्सिलिंग के दिन (जुलाई 22, 2014) के पूर्व अपना प्रवेश निरस्त करा लेता है तो उसके द्वारा निर्धारित जमा की गई फीस में से 10 प्रतिशत फीस काटकर आवेदक को वापिस कर दी जावेगी। किन्तु इस तिथि के पश्चात् केवल प्रतिभूति धन ही वापिस किया जायेगा।
- 6.2 अगर अभ्यार्थी अपना प्रवेश किसी अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण, अंतिम काउन्सिलिंग तक कराता है तो उसके द्वारा जमा की गयी फीस में से 10% राशि काटकर परिवर्तित पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण कर दी जावेगी। तथापि अभ्यार्थी को परिवर्तित पाठ्यक्रम में कुल फीस का केवल 10% का भुगतान और करना होगा। अंतिम काउन्सिलिंग के बाद पाठ्यक्रम/विषय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यार्थी केवल एक बार ही पाठ्यक्रम परिवर्तित करवा सकता है।
- 6.3 यदि किसी आवेदक ने इस आ 1य का वचनपत्र दिया है कि यदि वह अपनी अर्हतादायी परीक्षा का परिणाम 29 जुलाई, 2012 तक निर्धारित न्यूनतम प्रति ात के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो उसका प्रवे ा निरस्त माना जाये । उस दशा में यदि आवेदक 30 जुलाई, 2014 तक परीक्षा परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा जमा शुल्क वि वविद्यालय द्वारा वापिस नहीं किया जायेगा ।
- 6.4 ऐसे आवेदक जिन्होंने किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवे ा लिया है एवं वह विभिन्न कारणों से अंतिम काउन्सिलिंग के पूर्व प्रवेश को निरस्त करवाते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि आवेदक को वापिस कर दी जावेगी। किन्तु अगर आवेदक अन्तिम काउन्सिलिंग के पश्चात् फीस वापिस हेतु आवेदन करता है तो उसे केवल प्रतिभूति धन ही वापिस किया जावेगा।
- 6.5 अगर प्रावधिक प्रवे ा प्राप्त छात्र बाद में फेल घोषित होता है तो उसे 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि वापस कर दी जायेगी ।

7 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

- 7.1 कोई ऐसे विशेष प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी, जिसका कि उल्लेख इस विवरणिका में नहीं हुआ हो, को प्रवेश समिति को हस्तांतरण कर दिया जायेगा। यह समिति जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिनियम, संबंधी एवं अध्यादेशों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर कार्य करेगी तथा इसका निर्णय अंतिम होगा।
- 7.2 कानूनी मतभेदों का निराकरण ग्वालियर परिक्षेत्र स्थित न्यायालय में ही किया जायेगा।
- 7.3 विवरणिका में द ाये किसी पाठ्यक्रम को चलाने या न चलाने का अधिकार वि वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा ।
- 7.4 वि वविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रमों के समक्ष दर्शाई गयीं एजेन्सियों द्वारा सम्पन्न करायी जाती है—

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	परीक्षा कराने वाली एजेन्सियाँ
1.	B.E. Chemical / B.E. Electronics / B.E. Computer Science	M.P.- P.E.T. conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal./ JEE Examination
2.	M.C.A. and M.B.A.	Pre-M.C.A. and M.P.-M.E.T.- conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.
3.	B.Pharma	MP- Pharma-JET, conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.

जो छात्र उपर्युक्त बाह्य एजेन्सी की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, उन्हें भी विविद्यालय की प्रवेश विवरणिका क्रय कर विविद्यालय का प्रवेश आवेदन-पत्र भी भरना होगा।

- 7.5 विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर या बाहर रेगिंग, छेड़खानी, उत्पीड़न तथा उपद्रव करना गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। जो अभ्यर्थी परिसर के अन्दर या बाहर यह सब करते पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 7.6 यदि रेगिंग की कोई घटना विविद्यालय की जानकारी में आती है तो सम्बन्धित छात्र को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो विविद्यालय उसे संस्था से निष्काषित कर देगा।
- 7.7 यदि एम0 फिल0 पाठ्यक्रम में 05 तथा अन्य पाठ्यक्रमों में 10 से कम संख्या में वर्ष 2014-15 में छात्र प्रवेश लेते हैं तो ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित न करने का निर्णय विविद्यालय द्वारा लिया जा सकता है इस दशा में छात्रों को उनके द्वारा जमा शुल्क की समस्त राशि वापिस कर दी जावेगी।
- 7.8 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से भुल्क मध्यप्रदेश भासन के नियमानुसार लिया जावेगा। उक्त छात्रों द्वारा दी जाने वाली भुल्क का निर्धारण उनके अभिभावकों की कुल आय के आधार पर किया जावेगा। यदि उक्त छात्र पेमेन्ट सीट पर प्रवेश लेते हैं तो उन्हें प्रवेश के समय कॉलेज मनी के अलावा पेमेन्ट भुल्क का भी भुगतान करना होगा।
- 7.9 जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या अन्य किसी प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है तो उसके संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विविद्यालय को होगा।
- 7.10 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- 7.11 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा बाद में अगर यह पाया जाता है कि कोई प्रवेश प्रशासनिक चूक अथवा प्रवेश कर रहे काउंसलर की गलती से हो जाता है तो इस प्रकार के प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दिये जावेंगे। इस अवस्था में छात्र द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण फीस वापिस कर दी जावेगी।
- 7.12 छात्र को स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश लेने से 5 बर्ष में पूर्ण करना होगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश से 3 बर्ष में पूर्ण करना होगा। अगर कोई छात्र उपरोक्त अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसे पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा उसे किसी भी प्रकार की भुल्क(प्रतिभूति धन छोडकर) वापिस नहीं की जायेगी।